एसबी आदेश सं. 38/2020

ईफा.सं.113-03/2017-एसबी(पार्ट-I)
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(एफएस डिवीजन)

डाक भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 08, जनवरी, 2021

सेवा में,

सभी डाक सर्कलों के अध्यक्ष

विषय: राष्ट्रीय (लघु) बचत योजनाओं के लिए दिनांक 01.01.2021 से ब्याज दरों में परिशोधन के संबंध।

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट डिवीजन) ने ज्ञापन सं. 1/4/2019-एनएस दिनांक 30.12.2020 (प्रति संलग्न) के द्वारा यह सूचित किया है कि **वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही (01 जनवरी, 2021 से प्रारंभ तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त) के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं (राष्ट्रीय बचत योजनाएं) पर ब्याज दर अपरिवर्तित रहेंगी, जोकि वित्तीय वर्ष 2020-21 (01 अक्तूबर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक) की तिमाही के लिए अधिसूचित की गई थीं।** सुलभ संदर्भ हेतु विवरण नीचे प्रस्तुत है:-

क्र. सं.	**विभिन्न योजनाएं**	**01.10.2020 से 31.12.2020 तक प्रभावी ब्याज दर**	**01.01.2021 से 31.03.2021 तक प्रभावी ब्याज दर (अपरिवर्तित)**	**ब्याज गणना की आवृत्ति**
01.	डाकघर बचत खाता	4.0	**4.0**	वार्षिक
02.	1 वर्षीय सावधि जमा	5.5	**5.5**	तिमाही
03.	2 वर्षीय सावधि जमा	5.5	**5.5**	तिमाही
04.	3 वर्षीय सावधि जमा	5.5	**5.5**	तिमाही
05.	5 वर्षीय सावधि जमा	6.7	**6.7**	तिमाही
06.	5 वर्षीय आवर्ती जमा योजना	5.8	**5.8**	तिमाही
07.	वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	7.4	**7.4**	तिमाही तथा प्रदत्त
08.	मासिक आय खाता	6.6	**6.6**	मासिक तथा प्रदत्त
09.	राष्ट्रीय बचत पत्र (VIIIवां इशु)	6.8	**6.8**	वार्षिक
10.	लोक भविष्य निधि योजना	7.1	**7.1**	वार्षिक
11.	किसान विकास पत्र	6.9 (124 माह में पूरे हो जाएंगे)	**6.9 (124 माह में पूरे हो जाएंगे)**	वार्षिक
12.	सुकन्या समृद्धि खाता योजना	7.6.	**7.6**	वार्षिक

2. अनुरोध है कि इसे सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया जाए। साथ ही इसे सार्वजनिक स्थलों पर सभी डाकघरों के नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाए।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आपका,

देव

(देवेन्द्र शर्मा)
सहायक निदेशक (एसबी-।।)

प्रतिलिपि:-

अंग्रेजी पाठ के अनुसार।